

क्रमांक :- एफ.9(05)(12-11)सासुपें/पेंशन नियम/सान्याअवि/2014-15/ 15114

जयपुर दिनांक 23/11/2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत राष्ट्रीय एवं राज्य पेंशन योजनाओं में लाभार्थियों को हुए अधिक/अनियमित पेंशन राशि के भुगतान की वसूली के संबंध में विभाग के आदेश संख्या एफ 09 (05)(13) पेंशन वसूली/सान्याअवि/2015-16/3703 दिनांक 25.05.2015 से आदेश जारी किए गए हैं।

इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग- प्रथम के नियम 170 के अनुरूप ब्याज की दर 18 प्रतिशत वार्षिक होगी।

अतः संबंधित लाभार्थियों को हुए अधिक/अनियमित/दोहरे भुगतान की वसूली योग्य राशि पर तदनुसार ब्याज की गणना कर मूल राशि मय ब्याज राशि की वसूली की कार्रवाई कर राशि राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(अखिल अरोरा)

प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.9(05)(12-11)सासुपें/पेंशन नियम/सान्याअवि/2014-15/15115-715 जयपुर दिनांक 23/11/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर को अपने अधीनस्थ संबंधित विकास अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
6. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त (समस्त)/जिला कलक्टर (समस्त)।
9. समस्त उपखण्ड अधिकारी/ब्लॉक विकास अधिकारी।
10. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित जिला कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारियों को सूचित करने हेतु।
11. अतिरिक्त निदेशक, आई एफ एम एस, निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।
12. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी वित्त भवन जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सुविधा RAJSSP पोर्टल पर उपलब्ध कराने का श्रम करावे।
13. संयुक्त निदेशक (आई टी)/एसीपी (पेंशन) कंप्यूटर शाखा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
14. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षक एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
15. आदेश पत्रावली।

आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव